

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

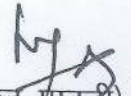
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख) (ए-190/2011)अलेसे-II/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्री अजय प्रताप सिंह, स.ले.अ. ग्रेड -II (लिंक नं. 9490) कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बाड़ी, धौलपुर को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा-2015 में सम्मिलित होने के उपरान्त विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान की आज्ञा क्रमांक प. 19(2)न्याय./2015 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर चयन किये जाने के परिणाम स्वरूप राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश क्रमांक No Estt.(RJS)/146/2016 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में दिनांक 04.08.2016 को उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है। अतः राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.07.2016 की निरन्तरता में श्री अजय प्रताप सिंह को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -II के पद से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(पंकज पाटनी)

निदेशक

दिनांक:- 28-7-16

क्रमांक:- एफ.3(ख) (ए-1905/2011)अलेसे-II/795-809
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाड़ी, धौलपुर।
3. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/पी.आई.एस अपडेशन हेतु।
4. श्री अजय प्रताप सिंह, स.ले.अ. ग्रेड -II बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाड़ी, धौलपुर।
5. वरिष्ठता सीट/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)